भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GA 188102

शपथ–पत्र

हम शपथीगण डॉ0 ए0के0 दीक्षित एवं श्रीमती कान्ती शुक्ला क्रमशः अध्यक्ष एंव सचिव पं0 लालता प्रसाद सेवा संस्थान 90/2 मोती नगर उन्नाव शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करती/करता हूँ।

धारा1. यह कि हमारी सोसाईटी द्वारा आर0के0 कालेज ऑफ फार्मेसी शान्ती नगर पोस्ट पारा परगना मौरावॉ उन्नाव नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

धारा2. यह कि हमारी सोसाईटी के नाम पं0 लालता प्रसाद सेवा संस्थान 90/2 मोती नगर उन्नाव में गाटा सं0–873ख, कुल रकबा 0.9490है0 भूमि है।

धारा3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

धारा4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाईटी के नाम उपलब्ध गाटा सं0–873ख, कुल रकबा 0.9490है0 पर उपरोक्त नाम पर डिप्लोमा इन फॉर्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाईटी की बैठक दिनांक–12.01.2020 द्वारा पारित किया गया है।

धारा5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

धारा6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ही सोसाईटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित व निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

कृ0प0उ0

अध्यक्ष
पं0 लालता प्रसाद सेवा संस्थान
90/2, मोतीनगर–उन्नाव

प्रबन्धक
पं0 लालता प्रसाद सेवा संस्थान
90/2, मोतीनगर–उन्नाव

NOTARY Ram Autar Verma Advocate Govt. of Uttar Pradesh

Scanned with OKEN Scanner

धारा7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

धारा8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यकम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यकम मे प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

धारा9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र. लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यकमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

धारा10.यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

धारा11.यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षित स्टाफ की तैनाती सोसाईटी/ ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

धारा12.यह कि, शासन/ परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा13.मै घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कुटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

NOTARY
Ram Autar Verma
Advocate

ह0 अध्यक्ष

ह0 सचिव